

08/5/17

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी
उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत मे पेश
हुयी। पक्षकारान मे समझाईश की गयी।
परन्तु राजीनामा नही हुआ। अतः पत्रावली
सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जाये।
पत्रावली दिनांक 12/3/17 को पेश हो।

30.5.17



अ.प्र.
तीन वक
मु.स.
म.

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
कार्रियान 2017 केम्ब विष्वावाडी
पेश हुई। वादीया स्वयं उपस्थित होकर
लोक अदालत की भावना से अपना
वाद वापिस लेने का प्रार्थना पत्र
पेश कर निवेदन किया वादीया की
पक्षान वकील श्री जालाराम पुनिया
ने की। अतः वादीया का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली
अरिधे विड्रोल खारीन कि जाती है।
पत्रावली अंशल शुमार होकर
गम्बर से कम होकर कातिल होकर है।